रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1507] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 16, 2015/ आषाढ़ 25, 1937
No. 1507] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 16, 2015/ASHADHA 25, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2015

का.आ. 1930(अ).—जबकि महाराष्ट्र राज्य में रारा-13 की शोलापुर-बीजापुर सड़क पर क्रमश: किमी 16/500 और किमी 14/200 में वड़कबल और हथुरनाका पर पुलो के लिए प्रयोक्ता फीस का संग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (राष्ट्रीय राजमार्ग खंड और स्थायी पुल- लोक वित्त पोषित परियोजनाओं के उपयोग के लिए फीस) नियमावली, 1997 के अनुसार महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

और जबकि, उपर्युक्त परियोजना के लिए प्रयोक्ता फीस के संग्रहण हेतु सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी कोई विद्यमान प्रयोक्ता फीस अधिसूचना नहीं है।

अब, केन्द्रीय सरकार, सा.का.नि. 838(अ), दिनांक 05.12.2008 के तहत प्रकाशित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा महाराष्ट्र राज्य में रारा-13 की शोलापुर-बीजापुर सड़क पर क्रमश: किमी 16/500 और किमी 14/200 में वड़कबल और हथुरनाका पर पुलो के लिए प्रयोक्ता फीस के उदग्रहण से छूट प्रदान करती है क्योंकि सा.का.नि. 15(अ) दिनांक 12.01.2011 के अनुसार प्रयोक्ता शुल्क 40% घटाने और सा.का.नि. 26(अ) दिनांक 16.01.2014 के अनुसार संरचना की लंबाई को दस के गुणक से गुणा करके राजमार्ग की लंबाई के समतुल्य बदलने के पश्चात प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण के माध्यम से वार्षिक राजस्व, प्रयोक्ता फीस के संग्रहण के लिए वार्षिक व्यय से कम होगा इसलिए प्रयोक्ता शुल्क का संग्रहण व्यवहार्य नहीं होगा।

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-12037/1/2015/एमएएच]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2015

S.O. 1930(E).—Whereas the user fee for bridges across Wadakbal and Hathur Naka at km 16/500 and km 14/200 respectively, on Solapur-Bijapur road of NH-13 in the State of Maharashtra is being collected by the State Government of Maharashtra in accordance with the National Highways Fee (Fee for the use of National Highways Section and Permanent Bridge-Public Funded Projects) Rules 1997.

And whereas there is no existing user fee notification issued by Ministry of Road Transport and Highways for the collection of user fee for the aforesaid project.

Now, in exercise of the powers conferred by rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R. 838(E) dated 05.12.2008, the Central Government hereby exempts bridges across Wadakbal and Hathur Naka at km 16/500 and km 14/200 respectively, on Solapur-Bijapur road of NH-13 in the State of Maharashtra from levy of user fee as the collection of user fee would not be viable as the annual revenue through user fee collection would be less than annual expenditure for collection of user fee after reducing the user fee to 40% as per G.S.R. 15(E) dated 12.01.2011 and converting the length of the structure into an equivalent length of highway by multiplying by a factor of ten as per G.S.R. 26(E) dated 16.01.2014.

[F. No. RW/NH-12037/1/2015-MAH]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.